

## स्थानीय शासन एवं आपदा प्रबंधन

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थानीय निकायों को भी जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावी भूमिका निभाने की अपेक्षा है।
- स्थानीय निकायों से यह अपेक्षित है कि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार आपदा की संभावित प्रकृति के आधार पर जन चेतना विकसित करना।
- आवश्यक प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को आपदा सम्बन्धी क्षति को न्यून करने की कुशलता प्रदान करना।
- समाज के कमजोर तबके यथा वृद्ध महिलाएं और बच्चों को संकट काल से उबरने की कला विकसित करना।
- आपदा के संकट से बचाए गये लोगों के लिए भोजन और चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इसमें स्वयं सहायता दल एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को सुनिश्चित करना।
- पीड़ित लोगों एवं परिवारों की पहचान कर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा आर्थिक सहयोग हेतु मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का प्रयास करना।

### प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित

- भारत सरकार ने (पंचायती राज मंत्रालय) पंचायतों के विकास के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का विकास किया, जिसके माध्यम से पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत करके विकसित करने की कोशिश करनी है।
- देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई- अभिशासन को मजबूत करने के लिए ई-ग्राम स्वराज शुरू किया गया है।
- इसका लक्ष्य है, विकेंद्रीकृत योजना, कार्य आधारित लेखांकन में पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से क्षेत्र की प्रगति को बढ़ाने का प्रयास करना।
- पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल, 2022 में इस योजना के माध्यम से पंचायतों की साख को मजबूत बनाने के प्रयास किया है और ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत **ऑडिट ऑनलाइन** की एक प्रक्रिया विकसित की है, ताकि स्थानीय निकायों के लेखांकन और लेखा परीक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके।
- 2023 में, **पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स** प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य है, सतत विकास लक्ष्य को क्षेत्रीय आधार पर प्रोत्साहित करना।
- यह एक समग्र सूचकांक है, जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है।
- यह सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों को सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

## 1. नोट:

- पंचायत विकास सूचकांक, जिला, प्रखण्ड और गाँव सहित विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को उनके कुल स्कोर के आधार पर दर्जा प्रदान करता है। **पंचायतों को चार ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - A---+ 90 प्रतिशत से ऊपर
  - A--- 75 से 90 प्रतिशत
  - B-- 60 से 75 प्रतिशत
  - C--- 40 से 60 प्रतिशत
  - D--- 40% से कम

## 2. नोट:

- यह सूचकांक निम्नलिखित विषयों पर विचार करता है:
  - गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका
  - स्वास्थ्य गाँव
  - बाल सुलभ गाँव
  - जल पर्याप्त गाँव
  - स्वच्छ एवं हरित गाँव
  - आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
  - सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गाँव
  - सुशासन
  - महिला अनुकूल गाँव